संख्या–2022/9–आ–3–98–78 काम्प/87

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
समस्त विकास प्राधिकरण,
2. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।,

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 24 जुलाई, 1998

विषय : विभिन्न योजनाओं में सिनेमाहाल हेतु आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह लाया गया था कि विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में सिनेमाहाल हेतु आरक्षित भू–खण्डों को अन्य प्रयोजनों हेतु निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न योजनाओं में सिनेमाहाल हेतु आरक्षित भू–खण्डों का भू–उपयोग–प्रयोजन परिवर्तित करते हुए निस्तारण करने की नीति को फिलहाल स्थगित रखा जाए अर्थात सिनेमा हेतु आरक्षित भू–खण्डों को यथावत ही रखा जाए और उन्हें तदनुसार ही विक्रय कर निस्तारित करने का प्रयास किया जाए। चूकि अब सिनेमा हाल के साथ में व्यवसायिक काम्पलेक्स आदि भी अनुमन्य किये जा रहे हैं, अतः इन काम्पलेक्स की आर्थिक ''बायविलिटि'' पर्याप्त रूप से सुधर जाने के कारण इन भूखण्डों की बिक्री की सम्भावना बढ़ गयी हैं। इसलिए ऐसे भूखण्डों की नीलामी आदि का प्रयास 2–3 महीने बाद ही किया जाए। यदि एक वर्ष की अवधि में भी इनका निस्तारण सिनेमा हाल व कामर्शियल काम्पलेक्स आदि हेतु न हो सकें तब केस–टु–केस के आधार पर निर्णय लिया जाए।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद की योजनाओं में सिनेमा हाल हेतु आरक्षित भू–खण्डों के आरक्षित मूल्य में कोई कमी किया जाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। वरन सिनेमा हाल को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाये जाने के लिए उपरोक्तानुसार वही श्रेयकर होगा कि सिनेमाहाल के साथ कामर्शियल काम्पलेक्स आदि का बनवाया जाना सुविधाजनक किया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–20221/411/2/9–आ–3–1998 तददिनाँक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1/411/2 प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
1/421/2 मंनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
1/431/2 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
एच. पी. सिंह
अनुसचिव